संख्या-99/2017/2296/22-2-2016-17(452)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 13 फरवरी, 2017**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सूर्य प्रसाद वर्मा पुत्र श्री रामकुमार, निवासी जनपद-खीरी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-44238-43/प्रोबेशन-3/2016 (एम-17-11-2016) दिनांक-16-12-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 16-12-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी सूर्य प्रसाद वर्मा पुत्र श्री रामकुमार, ग्राम-गौरिया बरारी, थाना-ईसानगर, जनपद-खीरी का निवासी है। जिला कारागार, सीतापुर में बन्दीरक्षक के पद पर कार्यरत बन्दी सूर्य प्रसाद वर्मा पुत्र श्री रामकुमार ने दिनांक 30.01.1987 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर 02 बन्दियों कृपाशंकर उर्फ बडकन्नू व मुन्ना लाल की जहर देकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-291/1991 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 में मा0 दशम् अपर सत्र न्यायाधीश, सीतापुर के आदेश दिनांक 15-02-2000 को मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19-10-2000 द्वारा मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी की उम्र-61 वर्ष है। बन्दी द्वारा दिनांक 07.10.2016 तक 16 वर्ष 07 माह 10 दिन की अपरिहार तथा 22 वर्ष 01 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। बन्दी का 01 सहअभियुक्त मा0 न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया जा चुका है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट लखीमपुर खीरी द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अपने अभिमत में अंकित किया है कि बन्दी (बन्दीरक्षक) ने दिनांक 30.01.1987 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर 02 बन्दियों कृपाशंकर उर्फ बडकन्नू व मुन्ना लाल की जहर देकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी की आयु-61 वर्ष है, जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी शारीरिक रूप से स्वस्थ्य होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सूर्य प्रसाद वर्मा पुत्र श्री रामकुमार, निवासी जनपद-खीरी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- इसी प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट पिटीशन सं0-20769(एम0/बी0)/2016 सूर्य प्रसाद वर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-09-2016 के अनुपालन तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी सूर्य प्रसाद वर्मा (बन्दी संख्या-36028) पुत्र श्री रामकुमार, निवासी जनपद-खीरी के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-99/2017/2296(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-लखीमपुर खीरी।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-99/2017/2296@22-2-2016-17(452)/2016

दिनांक 13 फरवरी, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध बन्दी सूर्य प्रसाद वर्मा (बन्दी संख्या-36028) पुत्र श्री रामकुमार, ग्राम-गौरिया बरारी, थाना-ईसानगर, जनपद-खीरी का निवासी है। जिला कारागार, सीतापुर में बन्दीरक्षक के पद पर कार्यरत बन्दी सूर्य प्रसाद वर्मा पुत्र श्री रामकुमार ने दिनांक 30.01.1987 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर 02 बन्दियों कृपाशंकर उर्फ बडकन्नू व मुन्ना लाल की जहर देकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-291/1991 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 में मा0 दशम् अपर सत्र न्यायाधीश, सीतापुर के आदेश दिनांक 15-02-2000 को मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19-10-2000 द्वारा मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी की उम्र-61 वर्ष है। बन्दी द्वारा दिनांक 07.10.2016 तक 16 वर्ष 07 माह 10 दिन की अपरिहार तथा 22 वर्ष 01 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। बन्दी का 01 सहअभियुक्त मा0 न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया जा चुका है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट लखीमपुर खीरी द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अपने अभिमत में अंकित किया है कि बन्दी (बन्दीरक्षक) ने दिनांक 30.01.1987 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर 02 बन्दियों कृपाशंकर उर्फ बडकन्नू व मुन्ना लाल की जहर देकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी की आयु-61 वर्ष है, जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी शारीरिक रूप से स्वस्थ्य होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सूर्य प्रसाद वर्मा पुत्र श्री रामकुमार, निवासी जनपद-खीरी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।